न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्याः 09/2024 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2024/8

1. गुरमीत सिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भरूखीरा, कानासर, बीकानेर।

2. जसप्रीत कौर
3. मंजीत कौर
4. बलजोत कौर

} पुत्रियां स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी गाम भरूखीरा, कानासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु. आ. गुरमीतसिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भरूखीरा कानासर, तहसील व जिला बीकानेर।

5. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. गुरजीत सिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी गाम भरूखीरा, कानासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आ. गुरमीतसिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भरूखीरा कानासर, तहसील व जिला बीकानेर।

6. बेअंतकौर पत्नि स्व. गुरजीत सिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी गाम भरूखीरा, कानासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आ. गुरमीतसिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भरूखीरा कानासर, तहसील व जिला बीकानेर।

7. गुरचरण कौर पत्नि स्व. बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी गाम भरूखीरा, कानासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आ. गुरमीतसिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भरूखीरा कानासर, तहसील व जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री सन्तनाथ योगी — अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 14.05.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर एवं पदेन कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 20.11.1976 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

14.5
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— वादगत भूमि ग्राम कानासर तहसील बीकानेर के पुराना खसरा नंबर 572 तादादी 28 बीघा बारानी भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट सं. 1 ता 4 के पिता, 5 के दादा व 6 के ससुर तथा अपीलांट सं. 7 के पति स्व. बग्गासिंह पुत्र सौदागर सिंह ने खातेदार मघाराम, गणेशाराम आदि पुत्रगण पन्नाराम नाई से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.01.1971 को खरीद की थी। अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 पारित कर उक्त वादगत भूमि को अवैध हस्तांतरण मानकर आराजीराज दर्ज करने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. बग्गासिंह को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही नोटिस तामिल करवाया। समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर अमल में लाई गई। ग्राम कानासर तहसील बीकानेर के पुराना खसरा नंबर 572 तादादी 28 बीघा बारानी भूमि स्व. बग्गासिंह पुत्र सौदागर सिंह ने दिनांक 13.01.1971 को खातेदार मघाराम, गणेशाराम आदि पुत्रगण पन्नाराम नाई से जरिये विक्रय पत्र खरीद की, जो उप पंजीयन अधिकारी बीकानेर के यहां निष्पादित करवाया गया था तथा उप पंजीयन अधिकारी बीकानेर के यहां 06.02.1971 को पंजीबद्ध हुआ था। स्व. बग्गासिंह की मृत्यु दिनांक 17.04.2016 को हो चुकी है। दिनांक 20.06.2023 को हल्का पटवारी से नकल बाबत मिलने पर पता चला कि उक्त भूमि उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा खारिज कर दी गई है। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, रिकार्ड शाखा, बीकानेर से दिनांक 07.07.2023 को नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी व लापरवाही नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। एबनीशियो वॉयड आदेश पर मियाद का बिन्दु गौण है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट ने लाखों रूपये खर्च करके उक्त भूमि को समतल व काश्त योग्य बनाया है। अपीलांट ढाणी बनाकर सपरिवार उक्त भूमि पर निवास कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 निरस्त किया जावे व अपीलांट्स के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

14.5
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 पारित कर वादगत भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दे दिये। अपीलाधीन हस्तांतरण बिना सक्षम स्वीकृति के किया गया था। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार बेचानकर्ता का नाम मिसल बन्दोबस्ती में बहैसियत खुदकाश्त खातेदार अंकित न होकर "आरजी काश्तकार" दर्ज है, जिसे सरकारी भूमि एक निश्चित अवधि हेतु काश्त के लिये आवंटित थी किन्तु बेचानकर्ता ने अवैध रूप से उक्त विवादित आराजी का बेचान किया। अपीलांट द्वारा अपील को मियाद में शुमार करने के संबंध में प्रस्तुत धारा—5 के प्रार्थना पत्र में भी कोई ठोस तथ्य नहीं बताये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 पारित करते हुए वादगत भूमि को अवैध हस्तांतरण मानकर आराजीराज दर्ज करने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलाधीन हस्तांतरण बिना सक्षम स्वीकृति के किया गया था। बेचानकर्ता का नाम मिसल बन्दोबस्ती में बहैसियत खुदकाश्त खातेदार अंकित न होकर "आरजी काश्तकार" दर्ज है, जिसे सरकारी भूमि एक निश्चित अवधि हेतु काश्त के लिये आवंटित थी किन्तु बेचानकर्ता ने अवैध रूप से उक्त विवादित आराजी का बेचान किया, जो विधिविरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 47 वर्षो पश्चात् अपीलांट द्वारा अपील पेश की। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.1976 यथावत रखा जाता हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर